



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) लातेहार।  
संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार-829206

कृषि उपादान व्यवसायियों को एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (DAESI) में नामांकन लेने हेतु आवश्यक सूचना।

निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-354 दिनांक 04.07.2023 के आलोक में वर्ष 2023-24 में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) लातेहार में कृषि उपादान व्यवसायियों हेतु Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) पाठ्यक्रम संचालित की जानी है।

लातेहार जिले के कृषि उपादान विक्रेता (बीज/उर्वरक/कीटनाशी) जो कृषि स्नातक/B.Sc रसायन की उपाधि नहीं रखते हैं, उन्हें DAESI कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिये जाने के उपरान्त उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण अथवा नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है। वैसे अनुज्ञप्तिधारी एवं 10<sup>th</sup> Pass आवेदक नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु मैनेज, हैदराबाद के वेबसाइट [www.manage.gov.in](http://www.manage.gov.in) एवं आत्मा लातेहार के वेबसाइट [atmalatehar.in](http://atmalatehar.in) से आवेदन प्रपत्र Download किया जा सकता है या कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) लातेहार से भी प्राप्त किया जा सकता है।


पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र निबंधित/स्पीडपोस्ट/हाथो-हाथ के माध्यम से ही परियोजना निदेशक, आत्मा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार को दिनांक 20.09.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। नामांकन हेतु कुल अभ्यर्थी की संख्या-40 है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक कागजात संलग्न करें:-

1. DAESI पाठ्यक्रम का विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
2. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (अंकपत्र, मूल प्रमाण पत्र)
3. अनुज्ञप्ति (License) की छायाप्रति (बीज/उर्वरक/कीटनाशी)
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. पासपोर्ट साईज 02 फोटोग्राफ।
6. रू० 10000/- (दस हजार) मात्र जो अनुज्ञप्तिधारी है एवं 20000/- (बीस हजार) रू० जो 10<sup>th</sup> Pass आवेदक को डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Director, SAMETI के नाम से Payable at Ranchi को देय होगा, संलग्न करना होगा।
7. आवेदन पत्र रद्द होने या चयन नहीं होने की स्थिति में डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
8. डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर सभी दस्तावेज पर आवेदनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी हेतु परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

विज्ञापन रद्द करने अथवा इसमें बदलने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

  
06/09/2023  
PROJECT DIRECTOR  
आत्मा, लातेहार।  
ATMA, LATEHAR